

म०प्र०शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ-भवन, भोपाल-462004

क्रमांक-460/1545172/2026/20-3

भोपाल, दिनांक 08/10/2026

प्रति,

सचिव

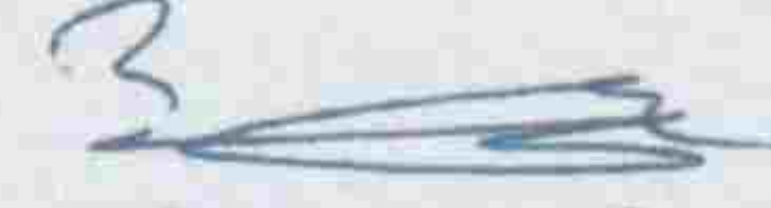
सी०बी०एस०ई०,

नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था के नाम में आंशिक संशोधन वावत्।

संदर्भ:- इस विभाग का आदेश/पत्र क्रमांक-572-573/794857/2022/20-3, दिनांक 01.09.2022

आयुक्त, लोक शिक्षण, म०प्र० भोपाल से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर अशासकीय संस्था-सरस्वती विद्या मंदिर हायर सेकेण्डरी स्कूल कोटरा, जिला-भोपाल, म०प्र० के स्थान पर संदर्भित आदेश/पत्र के अनुक्रम में अब अशासकीय संस्था-Saraswati Vidya Mandir H.S. Kotra, Bhopal, जिला-भोपाल, म०प्र० आंशिक संशोधन किया जाता है। शेष आदेश यथावत्।


(गोपाल वर्मा)

उप सचिव

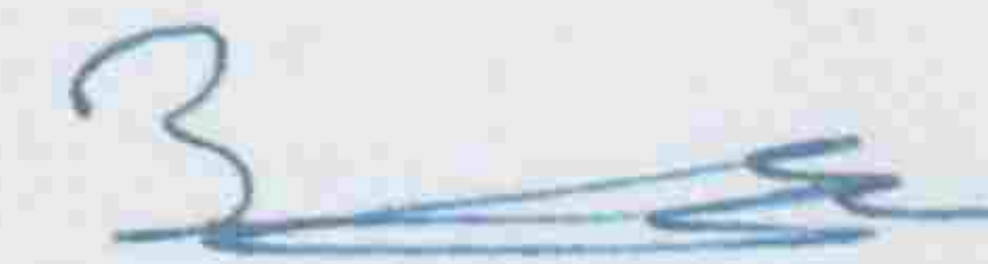
म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 08/10/2026

पृ०क्रमांक-461/1545172/2026/20-3

प्रतिलिपि:-

- (1) विशेष सहायक, मान० मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 - (2) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।
 - (3) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।
 - (4) कलेक्टर, जिला-भोपाल, म०प्र०।
 - (5) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग.....म०प्र०।
 - (6) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-भोपाल, म०प्र०।
 - (7) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-Saraswati Vidya Mandir H.S. Kotra, Bhopal, जिला-भोपाल, म०प्र०।
 - (8) फोल्डर प्रति,
- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अयोपित।



उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

कमांक-572-794857/2022/20-3

भोपाल, दि 01/9/2022

प्रति,

सचिव
सी0बी0एस0ई0,
नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत।

राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय संस्था-सरस्वती विद्या मंदिर हायर
सेकेण्डरी स्कूल कोटरा, जिला-भोपाल, म0प्र0 को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली
से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान
किया जाता है:-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के
उपरांत भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की
मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
- (2) विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय की प्रबंधन समिति में संभागीय संयुक्त
संचालक, लोक शिक्षण तथा उनके द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि को
सदस्य के रूप में नामांकित करना होगा तथा प्रबंधन समिति की बैठकों
में शासकीय सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (3) संस्था द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय
प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं
किया जायेगा।
- (4) संस्था विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं
खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल
का मैदान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध
करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिया जाये।
- (5) संस्था द्वारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान
मेलों आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान की
जावेगी।
- (6) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रैम्प की व्यवस्था करना आवश्यक
होगा। संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस
संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति
प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

बृजभूषण सचिव
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

PRINCIPAL
Saraswati Vidya Mandir
Hr.S. School Kotra, Bhopal
Code-632178

निरन्तर...2

- (7) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाली पुस्तकें एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से कच करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से कच करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
- (8) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एलपीजी आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
- (9) शिक्षण संस्था में मानव उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जाएगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।
- (10) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
- (11) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी।
- (12) संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
- (13) विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में प्रवेश के लिये बच्चों तथा माता-पिता अथवा अभिभावकों को किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं अपनाएगा।
- (14) संबंधित विद्यालय द्वारा तैयार शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक अमले की सेवा शर्तें जो कि राज्य शासन के समरूप होनी चाहिए के पालन न होने की स्थिति में संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।
- (15) सम्यक निरीक्षण के पश्चात एक बार मान्यता प्रदान कर दिये जाने पर सोसायटी/ट्रस्ट मान्यता के समय दावाकृत किन्हीं भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं, यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट किन्हीं मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को मान्यता नियम, 2017 के नियम-11 के उप नियम-(1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का.....

Verbiex

बृजभूषण सक्सेना
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

निरन्तर....3

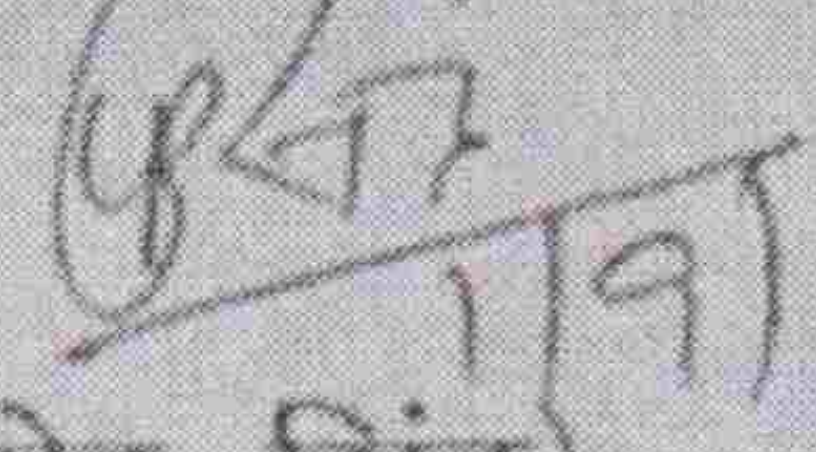
PRINCIPAL
Saraswati Vidya Mandir
Hr.S.School Kotra, Bhopal
Code-632178

//3//

अनुसरण करते हुए स्कूल की मान्यता निलंबित करने और पश्चातवर्ति इसे वापिस लेने की शक्ति होगी।

2/ उपर्युक्तानुसार शर्तों का पालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

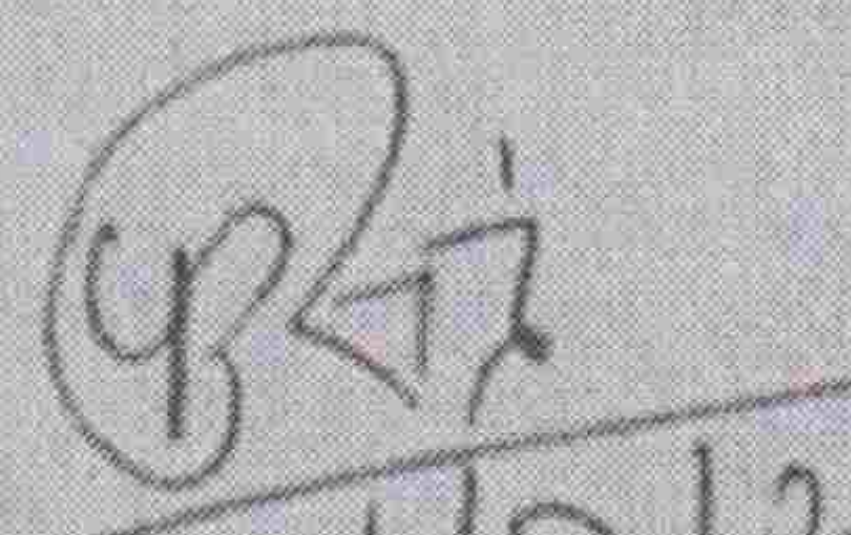

(प्रमोद सिंह)
उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

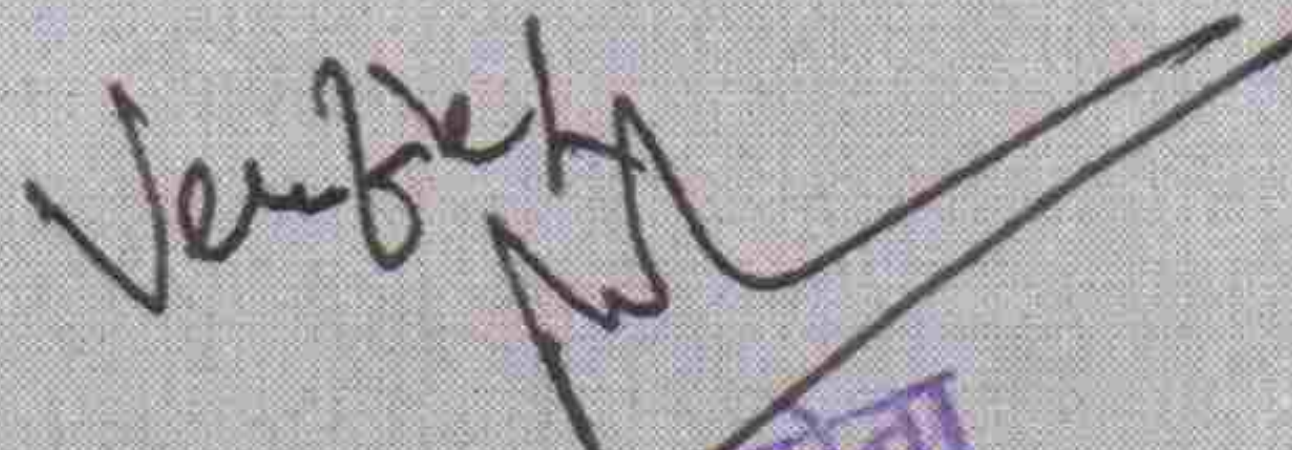
भोपाल, दि० ०९/०९/२०२२

पृ० क्रमांक- 573 /794857/2022/20-3
प्रतिलिपि:-

- (1) विशेष सहायक, मान० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
- (2) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।
- (3) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।
- (4) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, म०प्र०।
- (5) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-भोपाल, म०प्र०।
- (6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-सरस्वती विद्या मंदिर हायर सेकेण्डरी स्कूल कोटरा, जिला-भोपाल, म०प्र०।
- (7) फोल्डर प्रति,
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


11/9/2022
उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


बृजभूषण सर्वसेना
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


PRINCIPAL
Saraswati Vidya Mandir
Hr. S. School Kotra, Bhopal
Code-632178